

**FORM - III**

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

महिमा सिंह बनाम चमकौर सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए नम्बर 20 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/२५

|            |                                   |  |
|------------|-----------------------------------|--|
| तामिल हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|-----------------------------------|--|

28.01.2025

वादी महिमा सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति तरखान निवासी 37 एफ तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.02.2025 को पेश हो।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

२८  
30/1/25

~~वर्किल फर्दकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब  
अन्य कार्य में व्यस्त हैं।  
पत्रावली दिनांक.....को पेश हो।~~

२५<sup>०२</sup>/<sub>२५</sub>

आप्य चह पत्रावली वादी अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र नोटिफिकेशन करने पर चेशी में ली गइ वादी अधिवक्ता को खुणा गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 RTI नोटिफिकेशन करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली विधीत होकर नम्बर से कम होकर वाचिल फ़ितर हो।

*[Signature]*  
Not Press



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर